

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016—श्रावण 14, शक 1938

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-3-02-2011-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन करती है, जो पूर्व सूचना के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून, 2016 में प्रकाशित किए जा चुके हैं अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, भाग-क में, कॉलम (4) में अनुक्रमांक 4 के सामने अंक "9" के स्थान पर, अंक "12" स्थापित किया जाए.

No. F-03-02-2011-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby makes the following amendment in the Schedule to the said Act, the same having been published as previous notice in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th June, 2016, namely :—

AMENDMENT

In the said Act, in the Schedule, in Part-A, in column (4), against serial number 4, for the figure "9", the figure "12" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

655

आई सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.